

प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) सर्वेक्षण बावलि

BULANDSHAHR DEVELOPMENT AUTHORITY

Please fill the following form to process further. Fields marked as * are mandatory.

कृपया आगे की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित फार्म भरें * के रूप में चिह्नित फील्ड्स अनिवार्य हैं ।

1. Name (As registered in Aadhar Card) / नाम (जैसा आधार प्रपत्र में दर्ज है)*:

Enter name

*Required

2. Aadhar number / आधार संख्या*:

Enter Aadhar number

*Required

3. Re enter Aadhar number*:

Enter Re Enter Aadhar number

*Required

4. Mobile Number / मोबाइल नं.*:

Enter mobile number

*Required

5. Date of Birth(DD/MM/YYYY)*:

Enter Date of birth

*Required

6. Age / उम्र*:

Enter Age

*Required

7. Gender (Please Tick) / लिंग (कृपया टिक करें)*:

Select

Please select gender

8. Marital Status / वैवाहिक स्थिति (Please Tick/ कृपया टिक करें)*:

Select

Please select marital

9. Father's Name/Husband's Name (पिता का नाम/ पति का नाम)*:

*Required

Spouse Name / पति/ पत्नी का नाम:

11. Aadhaar Number of Spouse (If Married)

पति/पत्नी का आधार संख्या (यदि विवाहित है) :

12. Aadhar Number of father :

13. Religion / धर्म (Please Tick/ कृपया टिक करें):

-Select-

Aadhaar Card, if not available Voter ID Card/Any other unique Identification number of Father/Mother (Required in case of Unmarried Man/ Unmarried Woman/ Unmarried Transgender, Single / Divorcee Woman)

पिता/माता का आधार/मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान पत्र संख्या अपलोड करने हेतु साथ रखें। (अविवाहित पुरुष/ अविवाहित महिला/ अविवाहित उभयलिंगी एवं विधवा/एकल महिला के लिये अनिवार्य है,) :

14. Please Select Unique Identification:

-Select-

Please Upload self attested copy of Your Aadhar Card (Please upload the copy in PDF, JPEG and PNG format only)

कृपया आधार कार्ड के स्व सत्यापित कॉपी अपलोड करें* :

Choose File No file chosen

*Required

Please Upload your latest passport size photograph

नवीनतम पासपोर्ट आकार तस्वीर अपलोड करें* :

Choose File No file chosen

*Required

Reservation Category (आरक्षण / वरीयता)

A. Vertical Priority (Please Tick the category you belong to. Upload the Certificate if you belong to reserved category)

वर्टिकल वरीयता (कृपया श्रेणी टिक करें। आरक्षित श्रेणी के आवेदक जाति प्रमाण पत्र अपलोड करें।)

Select

Please select caste

Upload category certificate (Please upload In PDF, JPEG and PNG format only) / श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करें*



required

1. Horizontal priority (If you are in Disabled category please tick the option and upload the disabled category certificate)
हॉरिजेंटल वरीयता (यदि आप दिव्यांगजन श्रेणी में हैं तो विकल्प पर टिक करें एवं दिव्यांगजन प्रमाण पत्र अपलोड करें)

Select

15. Upload Income Certificate (Please upload that in PDF, JPEG and PNG format only) / आय प्रमाण पत्र अपलोड करें*

Choose File No file chosen

*Required

Applicant Bank Details (आवेदक का बैंक विवरण)

Please provide Bank Details for Refund of registration Money to unsuccessful applicants. In case of incorrect account number, Refund through NEFT will not get processed. So please thorough check the entry of account/bank details.
घन वापसी हेतु बैंक का विवरण भरें। (खाते/बैंक विवरण में त्रुटि होने पर घन वापसी सीधे खाते में नहीं हो पाएगी। अतः खाता/बैंक विवरण भरने से पूर्व भलि-भौति जाँच लें।)

16. Refund Account No. / घनवापसी खाता सं.*:

Enter account number

*Required

17. IFSC Code / आईएफएससी कोड*:

Enter ifsc code

*Required

18. Re-enter Refund Account No. / खाता संख्या फिर से दर्ज करें*:

Re-Enter account number

*Required

19. Bank Name / बैंक का नाम*:

Enter bank name

*Required

In case of incorrect account number, Refund through NEFT will not get processed

गलत खाता संख्या के मामले में, एनईएफटी के माध्यम से वापसी नहीं मिलेगा

Applicant Current Address

20. Address Line 1*:

Enter Current address

*Required



Address Line 2 *

Enter address Line 2

*Required

22. District *

Enter District

*Required

23. State *

Enter State

*Required

Applicant Permanent Address

24. Address Line 1 *

Enter Permanent address

*Required

25. Address Line 2 *

Enter address Line 2

*Required

26. District *

Enter District

*Required

27. State *

Enter State

*Required

28. Ownership Detail of existing House: (Own, Rent or Otherwise) *

Select

Please select ownershipDExistH

29. Type of the House based on roof type *

Select

Please select roofType

30. Number of years of stay in this Town/ City *

Select

Please select numberOfYStay

31. Whether the family owns any house/ residential land anywhere in India (yes/ No) *

Number of years of stay in this Town/city (1 year, 1 to 3 years, 3 to 5 years, more than 5 years)
इस शहर में निवास करने से रहे हैं (0-1 वर्ष, 1-3 वर्ष, 3-5 वर्ष, 5 वर्ष से अधिक)
Employment Status (1. Self Employed, 2. Salaried, 3. Regular wage, 4. Labour, 5. other)
रोजगार की स्थिति (1. ताली, 2. वेतनप्राप्त, 3. नियमित वेतन, 4. श्रमिक, 5. अन्य)

2. Does the family have a BPL Card (Yes / no) / क्या परिवार बीपीएल कार्ड धारक है (अदिहाँ तो कार्ड न छोट कर)

Select

Please select BPL Card

33. Email Id (Optional) / ईमेल आईडी (वैकल्पिक):

Enter email address

Please select Scheme for the Property / कृपया संपत्ति के लिए योजना का चयन करें

34. Scheme Name (Tick) / योजना का नाम (टिक करें):

35. Nominee Name/ प्रत्याशी का नाम:

Enter name

*Required

☒ I declare that I have read all the terms and conditions mentioned in the brochure. I accept all the terms & conditions.

(Please Tick)

मैं/हम घोषणा/करती/करता/करते हैं कि हमने/मैंने विवरणिका (ब्रोशर) में उल्लिखित समस्त नियम /शर्तों को पढ़ लिया है। मुझे समस्त नियम/शर्तें स्वीकार हैं एवं इनका पालन करूंगा/करूंगी/करेंगे।

Please accept all the terms and conditions.

Please thoroughly check all the entries before submitting the form. Once the form is submitted the entries cannot be changed/edited. After successful submission of application form an SMS shall be sent to the registered mobile number of the applicant.

* Please submit the form

कृपया आवेदन फार्म सफलतापूर्वक संपूर्ण करें।
Once Submitted, details cannot be changed / सबमिट करने के बाद, विवरण परिवर्तित नहीं किया जा सकता

* इस फार्म को सफलतापूर्वक भरने के बाद, विवरण परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
Proceed for Payment/ मुगतान के लिए आगे बढ़ें: सफलतापूर्वक भरने के बाद (सफलतापूर्वक भरने के बाद)

 Download Brochure (/SmartHubGovt_UAT/updated_booklet_of_pmay_Latest_Word_2003_mod.pdf)

36.Amount

5000

Submit

After successful submission of application form an SMS shall be sent to the registered mobile no. of the applicant

सफलतापूर्वक संपूर्ण करने के उपरान्त आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा।

बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर

पट्टा-विलेख का प्रारूप

यह पट्टा विलेख "बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर" (जो कि राष्ट्रपति अधिनियम सं० 11 सन् 1973 पुनर्विधायन उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 20 सन् 1974 की धारा 4 के अधीन गठित एक "निकाय" है तथा जिसका मुख्य कार्यालय यमुनापुरम कॉम्प्लेक्स, महात्मा गाँधी मार्ग, बुलन्दशहर पर स्थित है, के "प्राधिकृत अधिकारी" के माध्यम से, जिसे इस पट्टा-विलेख में आगे "पट्टाकर्ता" कहकर सम्बोधित किया गया है, जिसका अर्थ, जब तक उसके विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो; स्वयं पट्टाकर्ता, उसके प्रशासकों/अधिशसकों, विधिक प्रतिनिधियों एवं समानुदेशकों से लिया जायेगा, तथा "प्रथम पक्ष" कहलायेगा।)

— प्रथम पक्ष

द्वारा

श्री पुत्र/पुत्री/पत्नी..... निवासी-..... जिला बुलन्दशहर (जिसे कि इस पट्टा-विलेख में आगे "पट्टाग्राहिता" सम्बोधित किया गया है, जिसका अर्थ, जब कि कि उसके विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो, पट्टाग्राहिता स्वयं, उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों एवं समानुदेशकों से लिया जायेगा तथा "द्वितीय पक्ष" कहलायेगा) के हित में निष्पादित किया गया है।

— द्वितीय पक्ष

पट्टाकर्ता ने जनहित में भूमि प्रबन्धन करके प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत रमपुरा फेस-1 योजना में निर्मित किये गये चार मंजिले आवासीय भवन के अन्तर्गत भवन संख्या क्षे० 22.77 वर्गमी० संलग्न मानचित्र के अनुसार पट्टाग्राहिता के पक्ष में आवासीय प्रयोग हेतु आवंटित किया गया। सम्पत्ति, जिसका यह पट्टा-विलेख निष्पादित किया जा रहा है, का विवरण विलेख के अन्त में दिया गया है।

सम्पत्ति का मूल्यांकन निम्नानुसार है :-

(क)	निर्मित भवन का क्षेत्रफल	:	22.77 वर्ग मी०
(ख)	निर्मित भवन का मूल्य	:	रु० 4,50,000/-
(ग)	सम्पत्ति का कुल मूल्य	:	रु० 4,50,000/-
(घ)	भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान	:	रु० 1,50,000/-
(ङ)	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान	:	रु० 1,00,000/-

(च) आवंटी/द्वितीय पक्ष द्वारा देय मूल्य रु० 2,00,000/-

(छ) देय मूल्य पर जी०एस०टी० तत्समय नियमानुसार।

इस प्रकार पट्टा-विलेख हेतु सम्पत्ति, जिसमें निर्मित भवन का क्षेत्रफल 22.77 वर्ग मी० है तथा जिसे इस पट्टा-विलेख के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शाया गया है, का मूल्यांकन रु० 2,00,000.00 प्लस जी०एस०टी० उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत विभिन्न शासनादेशों के द्वारा निर्धारित किया गया है तथा पट्टाग्राहिता द्वारा भवन का मूल्य उपरोक्तानुसार प्राधिकरण कोष में जमा कर दिया गया है, जिसकी प्राप्ति पट्टाकर्ता एतद्वारा स्वीकार इस पट्टा-विलेख में, निम्नांकित शर्तों की सहमति देते हुए, पट्टाकर्ता प्रसविदा करता/करते हैं :-

1. यह कि पट्टे पर आवंटित भवन (निर्मित भवन) का कब्जा इस पट्टा-विलेख के माध्यम से पट्टाकर्ता को सौंप दिया गया है।
2. यह कि "पट्टाग्राहिता" उक्त परिसर, जहाँ यह सम्पत्ति (निर्मित भवन) स्थित है, अथवा उस पर निर्मित स्थल के पूर्ण या किसी भू-भाग को व्यक्तिगत के अतिरिक्त सार्वजनिक रूप से धार्मिक स्थल एवं किसी ऐसे अन्य उपयोग में नहीं लायेगा, जिससे किसी प्रकार की कोई अशान्ति उत्पन्न होती हो अथवा आस-पास के निर्मित भवन धारकों को बाधा या क्षति पहुँचती हो। "पट्टाग्राहिता" उक्त स्थल का प्रयोग बुलन्दशहर महायोजना के अन्तर्गत इस स्थल के निर्धारित भू-उपयोग से अन्यथा नहीं करेगा और ऐसा करने की किसी को अनुमति भी नहीं देगा। इसका उल्लंघन करने पर "पट्टाग्राहिता" के विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
3. यह कि पट्टाग्राहिता द्वारा उक्त भवन का कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त स्वयं उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य को हस्तान्तरणीय नहीं होगा। केवल पट्टाग्राहिता की मृत्यु की दशा में उसके विधिक वारिसान को हस्तान्तरित किया जा सकेगा।
4. यह कि "पट्टाग्राहिता" द्वारा निर्मित भवन से सम्बन्धित अधिकारों का उत्तराधिकार के फलस्वरूप अन्तरित होने पर इस "पट्टा विलेख" में अंकित समस्त नियम व उपनियम सदैव प्रथम अन्तरिती, द्वितीय अन्तरिती एवं लगातार प्रत्येक अन्तरिती पर यथावत लागू रहेंगे तथा "पट्टाग्राहिता" द्वारा की गई प्रसंविदा को सभी को मानने के लिए बाध्य होंगे।
5. यह कि किसी भी समय उक्त सम्पत्ति (निर्मित भवन) से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में "बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण" के उपाध्यक्ष को विवाद निर्णीत करने का पूर्ण अधिकार होगा। उपाध्यक्ष का निर्णय सभी को मान्य होगा।
6. यह कि इस सम्पत्ति के पट्टा विलेख हेतु सम्पत्ति के मूल्यांकन "सम्पत्ति का कुल मूल्य" एवं देय कर उपरोक्तानुसार सम्मिलित करके किया गया है। जिस पर पट्टाग्राहिता के द्वारा नियमानुसार अंकन का स्टाम्प जमा किया गया है।
7. यह कि पट्टे पर आवंटित भवन का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया जायेगा तथा द्वितीय पक्ष इस विलेख के अन्त में अंकित भवन का उपयोग आवासीय प्रयोजन हेतु किया जायेगा।
8. यह कि पट्टाग्राहिता अपने खर्च से विक्रीत भवन में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत व अनुमोदित भवन के डिजाईन में बिना प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के किसी प्रकार का निर्माण में परिवर्तन/संशोधन नहीं करेगा।
9. यह कि पट्टाग्राहिता सदैव प्राधिकरण के संतोषानुसार विक्रीत भवन की अच्छी और सारभूत प्रकार से मरम्मत करायेंगे और इन्हें स्वच्छ दशा में रखेंगे।
10. यह कि पट्टाग्राहिता प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति के बिना प्राधिकरण/विहित सक्षम अधिकारी या अनुमोदित रेखा चित्र तथा अनुमति की शर्तों के प्रतिकूल उक्त भवनों पर तत्समय होने वाले निर्माणों में न कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन करेगा और यदि ऐसी शर्तें या रेखा चित्र से किसी प्रकार का कोई अन्तर होगा तो प्राधिकरण से नोटित की प्राप्ति के तुरन्त बाद ऐसे अन्तर को उपरोक्तानुसार ठीक कर लेगा और यदि ऐसे अन्तर को सही करने में लापरवाही बरतेगा तो प्राधिकरण के लिये यह वैध होगा कि वह पट्टाग्राहिता के खर्च पर ऐसे अन्तर को सही करवा ले और इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय के सम्बन्ध में पट्टाग्राहिता द्वारा एतद् द्वारा करार करता है कि वह उस धनराशि की जिसे प्राधिकरण तदर्थ निश्चित करे तथा उसका भुगतान प्राधिकरण को कर देगा।
11. द्वितीय पक्ष प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों और उसके कर्मचारों तथा उसके द्वारा समय-समय पर सेवा-योजित अन्य व्यक्तियों को उक्त अवधि के दौरान सभी समुचित



समयों पर पट्टा भूखण्ड तथा उस पर स्थित भवन में प्रवेश करने की अनुमति देगा जिससे कि वे उक्त भूखण्ड और उस पर निर्मित भवनों का निरीक्षण कर सकें और पूर्वोक्त वर्णित आवश्यक कार्यों का निरीक्षण कर सकें, पर ऐसा किये जाने के पूर्व प्राधिकरण द्वितीय पक्ष को उक्त प्रयोजनार्थ 3 दिनों पूर्व नोटिस देगा।

12. सिवाय उस सीमा तक, जिसके लिए प्राधिकरण ने द्वितीय पक्ष को लिखित अनुमति प्रदान की हो, द्वितीय पक्ष अन्तरित भूखण्ड के किसी स्थान पर न तो कोई अस्तबल, शेड या अन्य प्रकार के निर्माण करेगा अथवा घोड़े, चोपाये, कुत्ते या अन्य पशुओं को रखने के लिए स्थान बनायेगा और न ही उसके बनाये जाने की अनुमति देगा।
13. यदि अग्नि, तूफान, बाढ़ या सेना या अनियन्त्रित भीड़ द्वारा किये गये कार्यों या अन्य प्रतिरोध शक्ति के कारण पट्टा भूखण्ड का कोई सारभूत भाग पूर्णतया या आंशिक रूप से नष्ट हो जाये, या यह भवन प्रयोजनार्थ सारभूत से या स्थायी रूप से अनुपयुक्त हो जाय तो ऐसी दशा में द्वितीय पक्ष न तो इस पट्टे को समाप्त करने के अपने विकल्प को काम में लायेगा और न ही उनके कारण हुई क्षति को पूर्ति कराने के उद्देश्य से प्राधिकरण को उत्तरदायी ठहरायेगा।
14. द्वितीय पक्ष बिना प्रथम पक्ष की पूर्व अनुमति प्राप्त किये पट्टे पर बने आवंटित भवन को प्रथम पक्ष के पक्ष में परित्याग करने के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरित, अन्तरित अभ्यर्पित, बन्धक अथवा अन्य किसी प्रकार भारित नहीं करेगा और न ही तदर्थ कोई संविदा करेगा।
15. यह कि जलापूर्ति सीवर, ड्रेनेज एवं विद्युतलाइन भवन की सीमा तक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जायेगी। भवन के आन्तरिक विकास कार्य द्वितीय पक्ष को स्वयं करने होंगे।
16. यह कि द्वितीय पक्ष समय-समय पर बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण बोर्ड एवं शासनादेश द्वारा जारी किये विनियमों एवं प्राविधानों का पालन करता रहेगा। प्रमाण पत्र के रूप में इस पट्टा-विलेख पर प्रथम पक्ष एवं उसकी तरफ से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं द्वितीय पक्ष के लिए एवं उसकी ओर से उसके प्राधिकृत अधिकारी ने स्वस्थ चित्त होकर पट्टा-विलेख पर हस्ताक्षर किये तथा सील साक्षियों की उपस्थिति में लगायी।
17. यह कि "पट्टाग्राहिता" समय-समय पर जारी शासनादेशों के प्राविधानों तथा "बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण" बोर्ड द्वारा जारी किये गये नियमों/उपनियमों एवं प्राविधानों का पालन करता रहेगा।
18. प्रमाण के रूप में इस "पट्टा विलेख" पर "पट्टाग्राहिता" ने अथवा उसके "प्राधिकृत अधिकारी" ने स्वेच्छा से एवं स्वस्थचित होकर पट्टा-विलेख पर अपने हस्ताक्षर कर दिये तथा सील भी साक्षियों की उपस्थिति में लगा दी है।
19. अन्य नियम व शर्तें ब्रोशर एवं आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार ही रहेगी।

ऊपर संदर्भित विक्रय सम्पत्ति (निर्मित भवन) का विवरण :-

योजना का नाम, जहाँ सम्पत्ति (निर्मित भवन) स्थित है
भू-विन्यास में दी गयी सम्पत्ति (निर्मित भवन) संख्या
भू-उपयोग
सम्पत्ति (निर्मित भवन) का क्षेत्रफल

: रमपुरा फेस-1 योजना
:
: आवासीय
: 22.77 वर्ग मी०

सम्पत्ति निर्मित भवन संख्या की सीमाएं :-

पूरब में : निर्मित भवन सं० पश्चिम में : निर्मित भवन सं०
उत्तर में : निर्मित भवन सं० दक्षिण में : निर्मित भवन सं०

पट्टाकर्ता के लिए प्राधिकृत अधिकारी
बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण,
बुलन्दशहर

साक्षीकरण :-

गवाह-1

हस्ताक्षर

नाम

उम्र

पिता का नाम

व्यवसाय

निवासी

दिनांक/ आई०डी० संख्या

गवाह-2

हस्ताक्षर

नाम

उम्र

पिता का नाम

व्यवसाय

निवासी

दिनांक/ आई०डी० संख्या

पट्टाग्राहिता के लिए प्राधिकृत अधिकारी
नाम
पिता/पति का नाम
पता
आई०डी० संख्या.....

